

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2026/9422

दिनांक : 26.09.2026

मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार।

विषय:-आदर्श आचरण संहिता समाप्ति के संबंध में।

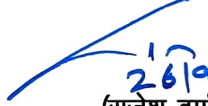
प्रसंग:- आयोग का अदेश क्रमांक 9179 दिनांक 22.09.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं नगर पालिका सुकेत व खाटूश्यामजी को छोड़कर शेष 304 निकायों में समस्त पदों के लिये निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही दिनांक 22.09.2026 को आदर्श आचरण संहिता समाप्त की जा चुकी है।

शेष नगरीय निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया आज दिनांक 26.09.2026 को पूर्ण हो चुकी है। अतः इन नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रभावी आदर्श आचरण संहिता को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इसके साथ ही सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचरण संहिता समाप्त हो जावेगी।

आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव सम्पन्न करवाये जाने तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने एवं कार्यग्रहण कराने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया था जिसमें पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव की घोषणा तक शिथिलता प्रदान की जाती है।

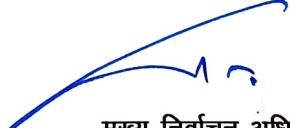

26/9/26
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2026/9423-33

दिनांक : 26.09.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
8. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(नगरपालिका) राजस्थान।
9. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, रा.नि.आ. को संबंधित को ई-मेल करवाने एवं वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
11. पी.आर.ओ राज्य निर्वाचन आयोग।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव